



# डा0 भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्ब0/9951(165) दिनांक - 29.05.2019

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

अमर नाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा

विषय- अमर नाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा को बी0एड0 (द्विवर्षीय) शिक्षा संकाय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धन/433/2016 दिनांक 03.06.2016 एवं 8311(03) दिनांक 28.05.2018 के द्वारा अमर नाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 01.07.2016 से आगामी दो वर्ष एवं दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सत्र 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन सम्बद्धता समिति के आदेशानुसार अमर नाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत एन0सी0टी0ई0 के तदक्रम में दिनांक 01.07.2019 से एक वर्ष दिनांक 30.06.2020 तक सम्बद्धता का विस्तारण उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र-बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो निम्नवत् है विस्तारण प्रदान किया जाता है-

## 1. महाविद्यालय की बैलेंसशीट संलग्न नहीं है।

यह सम्बद्धता दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रमावी होगी।

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.09.2019 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
- (2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राक्खानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(850)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित करेगा।
- (3) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में कमियों को तीन माह में पूर्ण करती जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (4) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिधमावली/अधिनियम में वर्णित प्राक्खानों/उपबन्धों, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राक्खानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (5) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (6) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (8) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटस्थित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (9) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध मानकों के आधार पर निर्धारित सीट से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (10) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 210 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (11) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हीयर ऐजुकेशन (ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 -।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।
- (12) एन0सी0टी0ई0 के निर्देशानुसार के-कम में महाविद्यालय परिसर में सी0सी0टी0वी0 केंमरे एवं बायोमैट्रिक मशीन लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 केंमरे लगने का प्रमाण एवं आई0पी0 एड्रेस तथा पासवर्ड कुलपति सचिवालय (सील्ड लिफाफे) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यह सम्बद्धता कार्य परिषद की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. विलत अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, अमर नाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

कुलसचिव



Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra  
(Previous : Agra University, Agra)

Letter No. Affiliation/9951(165) Dated – 29-05-2019

To,  
The Secretary/Principal  
Amar Nath Girls Degree College, Mathura.

Sub. - Amar Nath Girls Degree College, Mathura received B.Ed. (Two-year) Faculty of Education Regarding extension of syllabus at the undergraduate level

Sir,

Under the self-finance scheme under the Faculty of Education to Amar Nath Girls Degree College, Mathura, by letter no. Affiliation / 433/2016 dated 03-06-2016 and 6311 (03) dated 28-05-2018 of the above mentioned subject University Conditional affiliation was ensured to be provided for the next two years from 1-07-2016 and for two year from 01-07-2018 to 30-06-2019 According to the order of the affiliation committee under the proviso to section 37 (2) of Uttar Pradesh State University Act 1973 (as amended Uttar Pradesh State University (Second Amendment) Act 2014) (Uttar Pradesh Act No. 14 Session 2014), Amar Nath Girls Degree College, Mathura Under the Faculty of Education at the undergraduate level, B.Ed. (Two-year) NCTE under self-funded scheme in the curriculum. Extension of affiliation from date 01-07-2019 to one year 30-06-2020, subject to the conditions of completion of the deficiencies mentioned in the above mandate (Form-B), which is given below -.

1. The college balance sheet is not attached.

This affiliation date from 01-07-2019 to 30-06-2020 B.Ed. (Two-year) course extension will be effective for one year subject to the following conditions

- (1) The college should ensure that all the standards regarding affiliation are fulfilled by the date 30-09-2019 along with the said deficiencies.
- (2) According to the proviso provided in Section-37 (2) of the Basic Act, 1973 by the Uttar Pradesh State University (Amendment) Ordinance, 2003 by the college, all the prescribed standards will be fulfilled within a period of three months from the date of attaining affiliation otherwise Admission of students will be restricted in the next academic year and the affiliation order issued by the university will be canceled. In this order, in respect of the approval / appointment of teachers as per standard for compliance with the order dated 20-12-2012, passed in the writ petition no. The compliance of 2013 will ensure that the university starts the academic session
- (3) The college inspection report and the deficiencies in Form B should be completed in three months, otherwise the affiliation will be deemed to end automatically and admission of students will be restricted in the next academic session.
- (4) If the college does not ensure the completeness and continuity of the provisions / provisions mentioned in the university's regulations / act, the conditions and standards laid down by the government and the university, then grant it to the college under the provisions of the Uttar Pradesh State University Act, 1963. Action will be taken to withdraw the affiliation done.
- (5) The institute / college shall fill the gaps indicated in the affiliation order and shall annually send a certificate to the registrar of the university to the effect that the institute / college is continuously fulfilling the conditions of affiliation.
- (6) The college shall comply with the relevant guidelines mentioned in Government Order No. 2851 / Seventy-2-2003-16 (92) / 2002 dated July 02, 2003 and other relevant mandates issued in this subject from time to time.
- (7) Compliance of the College Government Order No. 2218 / Seventy-2-2011-16 (409) / 2010 dated 23 August 2011 will be ensured.
- (8) The affiliation to the college is being provided on the basis of the certified records submitted by the management, if at any stage it is found that the records / information related was misleading, untrue and any such fact has been hidden so that the college is not affiliated. If it could have gone, then action will be taken to cancel the affiliation, whose responsibility will be the responsibility of the college management.
- (9) The institution will not be run on commercial basis and the institute will never enter more than the seats prescribed on the basis of the standards available by the National Teacher Education Campus and the university and will receive tuition and other fees as prescribed by the government / university from the students.

(10) The institution will keep the campus free from ragging and the college will complete 210 teaching days.

(11) The college will submit a letter to the university after completing D.C.F.-II in each session to be linked with All India Survey of Higher Education (A.I.S.H.E.).

(12) According to the instructions of NCTE, arrangements for installation of CCTV cameras and biometric machines should be ensured in the college campus. Also be sure to provide proof of installation of CCTV cameras and IP address and password in the VC Secretariat (sealed envelope).

This affiliation is being issued in anticipation of the permission of the work premises.

Yours faithfully

Registrar

Copy: -

1 - Principal Secretary Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

2- Director Higher Education Uttar Pradesh, Allahabad.

3- Finance Officer, Dr. BR Ambedkar University, Agra.

4- Regional Higher Education Officer, Agra and Aligarh Division.

5- Secretary / Manager, Amar Nath Girls Degree College, Mathura.

6 - Additional Secretary Higher Education Council Indira Bhawan Lucknow for display on departmental website.

7 - Website in-charge Dr. BR Ambedkar University, Agra for display on the website

8- Assistant Registrar / Affiliation / Examination.

9- Superintendent Examination Controller's Office.

10- Superintendent Vice Chancellor Secretariat.

Registrar



डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक संख्या-2447  
दिनांक 20/10/11

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज,  
मथुरा।

महोदय

अनुसूचित जाति शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2235/सतार-2-2011 2(74)/2011 लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (या संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2007) की धारा 37(2) के "परनुक्त के" अधीन आपके महाविद्यालय को न्यमित पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर संकायान्तर्गत बंगुएओ (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं इतिहास) पाठ्यक्रम में वर्ष 2011-12 के उक्त पत्र में निर्दिष्टित दो शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है। छात्र संख्या प्रमाणपत्र के अनुसार निर्धारित होगी।

उक्त प्रेषित शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में धुने आपसे यह सूचित करने का निर्देश हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपयुक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाये कि पूर्ववर्ती शासन के उक्त पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2011 में प्रिलिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित किया गया है।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सतार-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में प्रिलिखित शर्तों निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षामार्फत प्रवेशित छात्रों का शासन के निर्देशों के अनुसार पूर्णतया की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उक्त शासन विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता धारित नहीं जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रत्यक्ष शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों को समयांतराल पूर्व गृहीत करता है तो तुरन्त प्रशासनिक अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी। उपरोक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)  
*M. Tiwari*

- प्रिलिखित निम्नलिखित को सुधनपूर्वक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपस्तरीय -
- 1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव (शिक्षा, शैक्षणिक, शैक्षणिक प्रशासन, सेवा)
  - 2-निजी सचिव कुलसचिव
  - 3-सहायक उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा मण्डल, शिक्षा पदावली विभाग, मथुरा, आगरा
  - 4-अधीनस्थ, एकेडमिक विभाग, सेवा परिषद

**M. Tiwari**  
PRINCIPAL  
Amar Nath Girls Degree College  
MATHURA

*Muty*  
PRINCIPAL  
Amar Nath Girls Degree College  
MATHURA



# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बन्धन/24/11/11  
दिनांक: 20/10/11

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज,  
मयुरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या 2236/सत्तर-2-2011-2(75)/2011 लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2011 द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा 37(2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनागत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तगत बी०कॉम० पाठ्यक्रम में सत्र 2011-12 से उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है। छात्र संख्या शासनादेश वर्ष 2011 के अनुसार निर्धारित होगी।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपयुक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धन शासन के उक्त पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2011 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में तमय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धन शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तगत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपयुक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रसारित:-

- 1-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 2-निजी सचिव कुलपति।
- 3-सेन्ट्रल उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बलुमज, आगरा।
- 4-अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)



# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्बन्धन/२५५६/११  
दिनांक: २०/१०/११

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज,  
मथुरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से पत्र संख्या २२३६/सत्तर-२-२०११-२(७५)/२०११ लखनऊ दिनांक ०५ अगस्त, २०११ द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००७) की धारा ३७(२) के "परन्तुक" के अर्थों में आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रम में सत्र २०११-१२ से उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है। छात्र संख्या शासनादेश वर्ष २०११ के अनुसार निर्धारित होगी।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपयुक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धन शासन के उक्त पत्र दिनांक ०५ अगस्त, २०११ में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

१. संस्था शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में तमय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापिस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धन शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपयुक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगतित:-

- १-सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- २-निजी सचिव कुलपति।
- ३-शैक्षिक उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बलुगंज, आगरा।
- ४-अध्यापक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धन)



# डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: सम्बन्ध/7348/2018

दिनांक:- 25.08.2018

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

अमर नाथ गर्लर्स डिग्री कालेज, मधुरा

विषय:- अमर नाथ गर्लर्स डिग्री कालेज, मधुरा को वाणिज्य एवं कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०काम० एवं एम०ए०(अंग्रेजी/चित्रकला) सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-सम्बन्धन/175/2016 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा अमर नाथ गर्लर्स डिग्री कालेज, मधुरा को वाणिज्य एवं कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०काम० एवं एम०ए०(अंग्रेजी/चित्रकला) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2017 तक आगामी दो वर्ष एवं पत्र संख्या-4115(218) दिनांक 26.09.2017 के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति/विस्तारण आगामी एक वर्ष के लिये शर्तों सम्बद्धता प्रदान किया जाना स्वीकृत किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार अमर नाथ गर्लर्स डिग्री कालेज, मधुरा को वाणिज्य एवं कला संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर एम०काम० एवं एम०ए०(अंग्रेजी/चित्रकला) स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (पत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण एम०काम० एवं एम०ए०(अंग्रेजी/चित्रकला) पाठ्यक्रमों में (सत्र 2018-19) दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

1. प्राचार्य (पी०जी० स्तर) अनुमोदित नहीं हैं।

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.06.2019 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
- (2) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्राचार करके अगले शैक्षणिक सत्र (2019-20) में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जबतक सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न कर लिया जा सके। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (3) महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के सविदा पत्र की तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (4) महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुविधा बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षा तथा परीक्षा नियंत्रक कक्ष में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।
- (5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये। अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिचमावली/अधिनियम में वर्णित प्राधान्यों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राधान्यों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेना एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करना कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2951/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में सम्बन्धित समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धसूत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बद्धता अभिलेख/सूचना कुट्टररहित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धसूत्र का होगा।
- (11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी। विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (12) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 160 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (13) महाविद्यालय अल इण्डिया सर्वे ऑफ होयर ऐजुकेशन(ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ० -11 पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. विल अधिकारी, डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, अमर नाथ गर्लर्स डिग्री कालेज, मधुरा।
6. अमर सचिव उच्च शिक्षा परिषद् इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बन्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धता विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

(कैलाश नाथ सिंह)  
कुलसचिव



# डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/6849/2018  
दिनांक— 25.08.2018

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा

विषय— अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस०सी० (बायो/कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-सम्ब०/1133 दिनांक 20.10.2018 एवं 4115(378) दिनांक 28.09.2017 के द्वारा अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस०सी० (बायो/कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में स्वयंसेवित पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2017 से आगामी एक वर्ष हेतु सहाय सम्बद्धता विस्तारित करना सुचित किया गया था।

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एस०सी० (बायो/कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में स्वयंसेवित पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण बी०एस०सी० (बायो/कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में (सत्र 2018-19) दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक (एक वर्ष) के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

1. महाविद्यालय को बैंक खाते से शिक्षकों के वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेंट सम्पूर्ण अप्रति का संलग्न नहीं है।

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.06.2019 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
- (2) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अप्रति में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्राचार जमा कराये अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र (2019-20) में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जबतक सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न कर लिया जाये। इसी क्रम में रिटायर/याधिका संख्या 81859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (3) महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के संविदा पत्र की तीन प्रति निर्धारित प्रासंग पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (4) महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुविधा बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा परीक्षा नियन्त्रक कक्ष में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।
- (5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठाधारी/अधिनियम में वर्णित प्राध्यापकों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राध्यापकों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेना एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा।
- (8) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2651/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस श्रेणियों में राय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (10) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (11) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धसत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बद्धता अभिलेख/सूचना कट्टरचित, अराजक थी एवं ऐसा कोई तथ्य दिखाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धसत्र का होगा।
- (12) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (13) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (14) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हीयर एजुकेशन(ए०आइ०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रपत्र संख्या में डी०सी०एफ० -11 पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मथुरा।
6. उपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इतिहास भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

(कैलाश नाथ सिंह)  
कुलसचिव